बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक :– 682 पटना / दिनांक :– 13.6.08

प्रेषक,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य, एम०आई०टी० मुजफ्फरपुर / बी०सी०ई० भागलपुर
सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक

विषय :– राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के परीक्षा कार्य हेतु पदाधिकारियों को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षाएँ बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 की अधिसूचित परीक्षा है। कई अवसरों पर ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु सौंपे गए परीक्षक / मूल्यॉकनकर्त्ता विरमित नहीं होने के कारण या अन्यथा भी परीक्षा कार्य सम्पन्न नहीं करते हैं।

इस संबंध में बिहार परीक्षा अधिनियम के धारा–9 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में परीक्षा कार्यों के सम्पादन हेतु संबंधित परीक्षक / मूल्यॉकन कर्त्ता को विरमित करना सुनिश्चित की जाए तथा अपने स्तर से संबंधित व्यक्ति को परीक्षा आदि के सम्पादन हेतु सौंपे गए कर्त्तव्य का पालन कराना भी सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

11/06/08